निगरानीकर्तागण श्रीमती उमा जोशी आदि की ओर से प्रान्तीय लघुवाद अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रत्यर्थीगण विक्की जायसवाल आदि, खफीफा निगरानी योजित की गयी है।

सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

निगरानी में विद्वान विचारण न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश/सिविल जज (सीनियर डीविजन) द्वारा लघु वाद सं. 01/2016, एम.सी. जोशी (मृतक) द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिनिधि श्रीमती उमा जोशी आदि बनाम श्रीमती राजेश्वरी जायसवाल (मृतक) द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिनिधि विक्की जायसवाल आदि में पारित निर्णय/डिक्री को चुनौती दी गयी है।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तथा परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत योजित की गयी है तथा विधिवत न्यायशुल्क अदा किया गया है। तदनुसार खफीफा निगरानी के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

प्रत्यर्थीगण को नोटिस दिनांक 01.10.2024 के लिए जारी किया जाये। निगरानीकर्तागण आवश्यक पैरवी लें। विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब हो।

खफीफा निगरानी सुनवाई हेतु दिनांक 01.10.2024 को पेश हो।

(सुबीर कुमार)
जिला न्यायाधीश,
नैनीताल।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UKNA010008822024/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com